मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल

कमांक एफ 20–14/2005/बी–ग्यारह   भोपाल, दिनांक 29/8/2011

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
म0प्र0, भोपाल ।

विषय :– औद्योगिक दृष्टि से जिलों का श्रेणीकरण ।
संदर्भ :– उद्योग संचालनालय का ज्ञाप क0 1/विसहा/(2)/82/1992, दि0 6.7.2011

संदर्भित ज्ञाप का अवलोकन करने का कष्ट करें ।

2/ वर्तमान में जबलपुर जिला पिछड़े जिलों की 'स' श्रेणी अंतर्गत वर्गीकृत है तथा समीप वर्ती जिला कटनी जो कि जबलपुर जिले के अलग होकर नवीन जिला बना है पिछड़े जिलों की 'अ' श्रेणी में वर्गीकृत है अतः अब कटनी जिले को भी जबलपुर जिले की भांति इस आदेश से जारी होने के दिनांक से दि0 24.3.2013 तक पिछड़े जिले की 'स' श्रेणी अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है ।

3/ उद्योग विहीन विकासखण्डों में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु निम्न जिलों के उद्योग विहीन विकासखण्डों में स्थापित होने वाले उद्योगों को भी पिछड़े जिलों की 'स' श्रेणी के समान सुविधायें/सहायता इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 31.10.2015 तक प्रदान की जावे :–

क0	जिले का नाम	उद्योग विहीन विकासखण्ड का नाम
अ–	विकसित जिले :–	
1	भोपाल	बैरसिया
2	इंदौर	देपालपुर
ब–	पिछड़े 'अ' श्रेणी के जिले :–	
1	देवास	1 सोनकच्छ 2 कन्नोद 3 खातेगांव
2	सतना	1 चित्रकुट (मझगवां) 2 नागौद 3 अमरपाटन 4 उचेहरा 5 रामनगर
3	उज्जैन	1 धटिया 2 तराना 3 बड़नगर 4 महिदपुर

S.Letter-Microsoft

4/ उपरोक्त श्रेणीकरण उद्योग संवर्धन नीति,2010 एवं कार्ययोजना लागू रहने की अवधि तक प्रभावशील रहेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एम0 एस0 सोलंकी)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

कमांक एफ 20–14/2005/बी–ग्यारह भोपाल, दिनांक 29/8/2011

प्रतिलिपि :–

1 प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

2 प्रबंध संचालक, म0प्र0 ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि0/म0प्र0 स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि0, भोपाल ।

3 उद्योग संयुक्त संचालक, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, इंदौर/भोपाल/उज्जैन/सागर/जबलपुर म0प्र0

4 महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, इंदौर/देवास/सतना/उज्जैन/कटनी म0प्र0

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग